5/8/25 - पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उप.। मूल वाद में लम्बित प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी की बहस सुनी गई। पत्रावली मूल वाद में लम्बित प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

5/8/25

25/8/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 8/9/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

8/9/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उप.। मूल वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/9/25 को पेश हो।

8/9/25

11/9/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधि. उप.। मूल वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी का निर्णय पृथक् से टंकित कराया जाकर वास्ते इजलास सुनाया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी स्वीकार होने से मूल वाद लाजिम खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या (29/24) 472/2025 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी स्वीकार होने से मूल वाद लाजिम हो चुका है, अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 912 राजस्थान काश्तकारी में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 912 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से निर्णीत किया जाता है। निर्णय वास्ते इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा